तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सरवर खां बनाम लो.सू.अ. (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) सू.अ.अ. अपील संख्या 56 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सरवर खान, महाराजा श्री उम्मेद कायमखानी छात्रावास शिवहाउस रोड़, पावटा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.02.19 में उसके द्वारा (1) आवेदक सरवर खान पुत्र फुले खान, कक्षा बीए–एलएलबी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर ने सत्र 2012–13, सत्र 2013–14 और सत्र 2014–15 में अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा की ओर संचालित मेरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए आवेदन जमा करवाया था, कृपया आपके कार्यालय में संधारित आवक रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी उपलब्ध करवाएं कि आवेदक सरवर खान पुत्र फुले खान, कक्षा बीए–एलएलबी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर का सत्र 2012–13, सत्र 2013–14 और सत्र 2014–15 में मेरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए आवेदन की हार्ड कॉपी किस तिथि को जमा हुई है? तीनों सत्रों में आवेदन पत्र जमा करने की प्रविष्टि दर्शाने वाले संबंधित आवक रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	